न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 88/2024

GCMS No. 2024/146

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 पप्पुसिंह पुत्र श्री गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बोडा तहसील व जिला सिरोही		1. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री देवीसिंह 2. बाबुसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह के वारिसान एवं उत्तराधिकारी 2/1 आशा कुंवर पुत्री बाबुसिंह 2/2 चौकु कुंवर पुत्री बाबुसिंह 2/3 निक्कु कुंवर पुत्री बाबुसिंह 2/4 निशा कुंवर पुत्री बाबुसिंह 2/5 पुरण कुंवर पुत्री बाबुसिंह 2/6 भगवती कुंवर पत्नि बाबुसिंह 2/7 महिपालसिंह पुत्र बाबुसिंह 2/8 हिमा कुंवर पुत्री बाबुसिंह 3. भगवतसिंह पुत्र श्री देवीसिंह 4. भाप कुंवर पत्नि श्री देवीसिंह सर्व जातियान राजपूत निवासीयान निम्बोडा तहसील व जिला सिरोही 5. स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

उपस्थित–
1 प्रार्थी की ओर से वकील श्री नगेन्द्र मेडतीया।
2. अप्रार्थीगण संख्या 4 की ओर श्री नरपतसिंह देवडा।
2. अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) सिरोही

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड

आदेश

दिनांक 11–06–2025

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 09.07.2024 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने पुर्व खातेदार श्री देवीसिंह पुत्र श्री रणसिंहजी वगैरा से खातेदारी की आराजी मौजा निम्बोडा के पुराने खसरा संख्या 290 रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा आराजी में से पूर्व दिशा की तरफ की आराजी को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 02.03.1996 के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था तब से उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग प्रार्थी कर रहा है। उपरोक्त

पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में जरिए नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 30.03.1996 के नाम दर्ज किया गया। जिसमें उक्त आराजी के पुर्व दिशा की तरफ की आराजी 290 मी रकबा 9 बीघा का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया था। नामान्तकरण स्वीकृत होने के बाद जमाबंदी में अमल दरामद किया गया। जिसमें 09 बीघा के स्थान पर 06 बीघा आराजी का ही राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया गया। जबकि प्रार्थी ने पुर्व खातेदार से 09 बीघा भूमि को खरीद किया था तथा 09 बीघा भूमि के सम्बंध में ही नामान्तकरण दायर कर स्वीकृत्त किया गया था। राजस्व कर्मचारियों ने 09 बीघा के स्थान पर जमाबंदी में 06 बीघा ही दर्ज किया गया जो एक लिपिकीय त्रुटि है तथा इस त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। राजस्व अभिलेख नक्शा में ही जमाबंदी में इन्द्राज के अनुसार 9 बीघा भूमि का इन्द्राज करने के बजाय 06 बीघा भूमि का इन्द्राज कर दिया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा खरीद की गई आराजी के अनुसार ही राजस्व अभिलेख जमाबंदी व नक्शा में इन्द्राज हो, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति नहीं रहे। राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज होने से प्रार्थी के हितों पर प्रभाव पड रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा निम्बोडा के पुराने खसरा संख्या 290 मी रकबा 09 बीघा, जिसके नए खसरा संख्या 272 मी है, का रकबा व नक्शा में 6 बीघा के बजाय 09 बीघा दुरूस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना व फार्म नंबर 3 के साथ बेचान लिखत, नामान्तरकरण व जमाबंदी प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्ट्या आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2024 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 9–9–24 को अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से वकील श्री नरपतसिंह देवडा ने वकालत नामा पेश किया । अप्रार्थी स्टेट की ओर से जरिए पत्रांक/कोर्ट/2024/520 दिनांक 24.12.2024 को जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति वकील पक्षकारान को उपलब्ध करवाई गई।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी ग्राम निम्बोडा तहसील–सिरोही का निवासी है तथा खेती कार्य करता है। प्रार्थी ने जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 02.03.1996 पुस्तक संख्या 1 क्रम सं. 124 जिल्द सं. 151 के द्वारा खातेदार श्री देवीसिंह पुत्र रणसिंह वगैरा कौम राजपुत सा. निम्बोडा के पुराने खसरा संख्या 290 रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा आराजी में से उक्त बेचान दस्तावेज के द्वारा 9 बीघा भूमि खरीदी थी। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 28.03.96 को हल्का पटवारी द्वारा दायर कर दिनांक 30.3.96 को भू.अ. निरीक्षक से जांच करवाकर दिनांक 30.03.96 को ग्राम पंचायत जैला के सरपंच महोदय द्वारा ग्राम सभा में निर्णित करवाया गया था जिसमें ख.नं. 290 मी. रकबा 9 बीघा दर्ज है।उक्त नामान्तरकरण संख्या 157 स्वीकृत होने के बाद जमाबंदी संवत् 2049–2052 में अमल दरामद नामान्तरकरण अनुसार 9 बीघा का ही अमल दरामद किया गया था जमाबंदी संलग्न है। राजस्व अभिलेख नक्शा लट्ठा पुराने में वक्त

नामान्तरकरण तरमीम नही हुई है तथा नवीन नक्शा अर्थात में नवीन खसरा नम्बर 300–0.94 हैक्टेयर व 298–0.06 हैक्टेयर कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर प्रार्थी/वादी के नाम से बोल रही है। उक्त खसरों का कुल रकबा 01.44 हैक्टेयर अर्थात 9 बीघा बनता है जिस पर वर्तमान में वादी का ही कब्जा है। उक्त सम्पूर्ण परिवर्तन वक्त सेटलमेंट के समय हुआ है। राजस्व अभिलेख में हुई उक्त त्रुटी वक्त सेटलमेंट की होने से सक्षम न्यायालय में एल. आर. एक्ट की धारा 136 के तहत द्वारा की शुद्वि की जा सकती है। जिस हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौजा निम्बोडा के पुराने खसरा नम्बर 290 में से 9 बीघा भूमि का प्रार्थी द्वारा विक्रय–विलेख द्वारा हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण 157 के द्वारा जमाबंदी संवत् 2049–52 वक्त प्रार्थी के पक्ष में 9 बीघा के बजाय 6 बीघा 4 बिस्वा (1.00 हैक्टेयर) भूमि दर्ज हुई है उक्त त्रुटि का सुधार किया जाना न्यायसंगत है।

प्रकरण में इस न्यायालय की सुनवाई दिनांक 01–04–2025 को इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 01–04–2025 को अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान दौराने सुनवाई न्यायालय में हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं दिनांक 06–05–2025 को अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 का जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 04–06–2025 को वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस करने से बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की प्रार्थी ने जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 02.03.1996 के द्वारा खातेदार श्री देवीसिंह पुत्र रणसिंह वगैरा कौम राजपुत सा. निम्बोडा के पुराने खसरा संख्या 290 रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा आराजी में से उक्त बेचान दस्तावेज के द्वारा 9 बीघा भूमि खरीदी थी जबकि राजस्व कर्मचारियों ने 09 बीघा के स्थान पर राजस्व अभिलेख, नक्शा में 06 बीघा ही दर्ज किया गया जो एक लिपिकीय त्रुटि है तथा इस त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। वहीं पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में अप्रार्थी स्टेट के जवाब को दोहराते हुए प्रार्थी के पक्ष में 9 बीघा के बजाय 6 बीघा 4 बिस्वा (1.00 हैक्टेयर) भूमि दर्ज हुई है उक्त त्रुटि का सुधार किया जाना न्यायसंगत होना बताया।

हमने विचाराधीन प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा प्रार्थी वकील व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस पर भी गंभीरता से मनन किया। विचाराधीन सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन में यह पाया की प्रार्थी ने जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 02.03.1996 के द्वारा खातेदार श्री देवीसिंह से पुराने खसरा संख्या 290 रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा आराजी में से 9 बीघा भूमि खरीदी थी। नामान्तरकरण 157 के द्वारा जमाबंदी संवत् 2049–52 वक्त प्रार्थी के पक्ष में 9 बीघा के बजाय 6 बीघा 4 बिस्वा (1.00 हैक्टेयर) भूमि दर्ज हुई हुई। राजस्व रेकर्ड में हुई उक्त त्रुटि लिपिकिय परिभाषा में आने से न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धा.136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा निम्बोडा पटवार हल्का जैला भू.अ.नि. तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.) में प्रार्थी के बेचान दस्तावेज दिनांक 02.03.1996 अनुसार भू–प्रबंध से पूर्व का खसरा नम्बर 290

रकबा 37 बिघा 6 बिस्वा में से 9 बीघा(रकबा 1.4400 हेक्टेयर) भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 298, 299 व 300 रकबा क्रमशः 0.0600, 0.4400, 0.9400 हेक्टेयर कुल रकबा 1.4400 हेक्टेयर में से खसरा नम्बर 298 व 300 क्रेता प्रार्थी श्री पप्पूसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बोडा के नाम से खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है तथा भू प्रबंध विभाग की त्रुटि के कारण खसरा नम्बर 299 विक्रेता के वारिसान श्री गजेन्द्रसिंह, भगवतसिंह पि. देवीसिंह, भापकुवंर पत्नि देवीसिंह हिस्सा 1/2 व बाबूसिंह पुत्र रणजीतसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत के नाम से दर्ज है।

अतः मौजा निम्बोडा के वर्तमान खसरा नम्बर 299 रकबा 0.44 हेक्टेयर के खातेदार श्री गजेन्द्रसिंह, भगवतसिंह पि. देवीसिंह, भापकुवंर पत्नि देवीसिंह हिस्सा 1/2 व बाबूसिंह पुत्र रणजीतसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत के स्थान पर प्रार्थी श्री पप्पूसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बोडा को खातेदार, राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अमल–दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया। निर्णय मेंरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरि सिंह देवल)
लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 11–06–2025 को मेंरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)